न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 137 / 2020 **दायर दिनांकः 08 / 09 / 2020**

उनवान

1. कैलाशबाई आयु 52 वर्ष पत्नि पुष्पदयाल जाति धाकड़ निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थिया

बनाम

1. महावीर आयु 45 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति मीना निवासी आटोन हाल तेल फेक्ट्री पुष्पकुन्ज शनी महाराज के मन्दिर के पास बारां राज0।
2. इन्द्रजीत आयु 30 वर्ष पुत्र देवकरण जाति कुम्हार निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. जमनाशंकर आयु 48 वर्ष पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी आटोन तहसील अटरू हाल नाकोडा कॉलोनी महादेव मन्दिर के पास बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थीया :—विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौतम

अप्रार्थीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री उमाशंकर गोस्वामी प्रति.क्रम 1

विद्वान अभिभाषक श्री ओमसिंह राठौड प्रति.क्रम 2 व 3

निर्णय दिनाकः 18 / 07 / 2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल आटोन खाता संख्या 489 का ख०न० 225 का रकबा 0.32 है० आराजी प्रार्थिया के खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। ग्राम एवं माल आटोन की खाता संख्या 472 की ख0नं0 209 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0 210 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 211 रकबा 0.36 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। तथा खाता

संख्या 33 की ख0नं0 207 रकबा 0.22 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 2 के खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। तथा खाता संख्या 194 की ख0नं0 2364/208 रकबा 1.37 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 3 के कब्जे काश्त एवं खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। ख0नं0 117 से 217 गै0मु0 रास्ता/आम रोड डडवाडा से भैंसडा है। जो राज सरकार खाता दर्ज है। प्रार्थिया आम रास्ते रोड ख0नं0 117, 217 डडवाडा से भैंसडा से ख0नं0 209, 210, 211 के व 207, 2364/208 की मध्य की मेड पर होकर अपने खेत ख0नं0 225 में अपने ट्रेक्टर ट्रोली व कृषि यंत्र लाया ले जाया करती है। इसके अलावा प्रार्थिया के खेत पर आने जाने का रास्ता नहीं है, न ही अन्य कोई रास्ता है। जिसके कारण प्रार्थिया रास्ते के अभाव में काश्त नहीं कर पायेगी एवं खेत पडत रह जावेगा। अप्रार्थीगण प्रार्थिया के पुराने रास्ते को अवरूद्ध उतारू है। जिसे खुलासा रखने एवं बन्द करने पर खुलासा करवाने की प्रार्थिया कानूनी रूप से अधिकारी है। प्रार्थिया अपने खेत ख0नं0 225 पर आने जाने का रास्ता 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाने की कानूनी रूप से अधिकारी है। तथा रास्ता की भूमि की एवज में प्रार्थिया डी.एल.सी. रेट के मुताबिक अप्रार्थीगण को राशि अदा करने या अपने खाते की आराजी देने के लिए तैयार है। अप्रार्थी क्रम 4 को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में 15 फुट चौडा रास्ता दर्ज करने का निर्देश जारी करवाने की अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता है। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में हाईलाइट से प्रदर्शित ए से बी व सी रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पेदा नहीं करें प्रार्थिया के आने जाने कृषि यंत्र लाने ले जाने में किसी प्रकार का अवरोध न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे तथा रास्ते को 15

फुट चौडा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी क्रम 4 को दिया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। प्रार्थिया तथा अप्रार्थी क्रम 2 व 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि कैलाशबाई आयु 52 वर्ष पत्नि पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां की रहने वाली हूं। मेरे द्वारा माननीय न्यायालय एस.डी.ओ कोर्ट अटरू में रास्ता चाहने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया है। जो विचाराधीन है। जिसकी प्रार्थना पत्र संख्या 137/2020 बउनवान कैलाशबाई बनाम महावीर वगै0 है। जिसमें अप्रार्थीगण क्रम 2 इन्द्रजीत व अप्रार्थी क्रम 3 जमनाशंकर है। जिन दोनों व्यक्तियों से मेरा राजीनामा निम्न शर्तानुसार हुआ है।

- मैं अपने खेत ख0नं0 225 में जाने के लिये अप्रार्थी क्रम 2 इन्द्रजीत पुत्र श्री देवकरण के ख0नं0 207 की मेड के मध्य से खेत के अन्दर जाने के लिये 7.5 फुट चौडाई ×लम्बाई जमीन के नक्शे के अनुसार अंकित मार्क ए से बी मार्क तक तथा अप्रार्थी क्रम 3 जमनाशंकर के ख0नं0 2364/208 की मेड के मध्य से खेत के अन्दर जाने के लिये 7.5 फुट चौडाई एवं लम्बाई नक्शे के अनुसार अंकित मार्क बी से सी मार्क तक रास्ते के लिये भूमि दे देगें।
- इन्द्रजीत व जमनाशंकर बिना रूपये पैसे के अपने खेतों से जमीन उपलब्ध करवा रहे है। उनकी सहमति स्वरूप इस राजीनामें में अपनी सहमति दे रहे है। जिसके अनुसार रास्ते के लिये राजीनामा गृहिता इन्द्रजीत पुत्र देवकरण व जमनाशंकर पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी आटोन सहमत है और वे दोनों अपनी अपनी जमीन में से रास्ते के लिये भूमि दे रहे है। मैं जमनाशंकर व इन्द्रजीत के खेत में फसल लाने ले जाने व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु किसी प्रकार से रोक टोक नहीं करूगी तथा अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगें और न करने दूंगी। रास्ते के प्रपच में दी गई जमीन की एवज में उतनी ही जमीन मैं केलाशबाई पत्नी पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी आटोन में ख0नं0 225 में से

इन्द्रजीत व जमनाशंकर को उपयोग, उपभोग हेतु जमीन दूंगी। उक्त रास्ते को इन्द्रजीत व जमनाशंकर भी उपयोग, उपभोग करते रहेगें। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

- इस राजीनामे में प्रार्थी क्रम 1 महावीर मीणा शामिल नहीं है। जिसके विरूद्ध उक्त कार्यवाही विचाराधीन है वह यथावत रहेगी। जमनाशंकर जी के खेत से सटी हुईग जमीन लगवा की जमीन में से ही रास्ते की एवज में दी गई जमीन की उतनी ही जमीन मेरे खेत से दूंगी। लिहाजा उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप यह राजीनामा हमने बिना दाब दबाव, बिना नशा पत्ता के स्टाम्प नॉन जूडीशियल 100/– रूपये एवं दो सादा कागज पर निष्पादित कर दिया है जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।

3. राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया, प्रार्थिया की पहचान श्री लक्ष्मीचन्द गौतम एड0 द्वारा की गई तथा अप्रार्थी क्रम 2 व 3 की पहचान श्री ओमसिंह राठौड़ एड0 द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ''प्रार्थी की कृषि आराजी ख0नं0 225 तक आने जाने एवं कृषि उपकरण ले जाने के लिऐ कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी वर्षों से ख0नं0 206, 207, 209, 210, 211 व 2364/208 की मेड से होकर गुजरते आये है। प्रार्थना पत्र में अंकित ABCD रास्ता सबसे छोटा पहुंच मार्ग है।'' अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः कथन किया कि ''यह रास्ता प्रार्थी के लिए अति आवश्यक है अन्यथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी का खेत पडत रहा जायेगा जिससे प्रार्थी के लिऐ पेट पालन मुश्किल हो जायेगा।''

5. रास्ते के संबंध में तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/1535 दिनांक 20.06.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी कैलाशबाई पत्नी पुष्पदयाल जाति धाकड़ निवासी आटोन के आराजी ख0नं0 225 रकबा 0.32 है0 भूमि तक पहुंच का वर्तमान में मौके पर रास्ता नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी के ख0नं0 225 पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी

इन्द्रजीत पुत्र देवकरण जाति कुम्हार के ख0नं0 207 रकबा 0.22 है0 व अप्रार्थी महावीर पुत्र धूलीलाल के आराजी ख0नं0 211 व 210 की मध्य मेड से होते अप्रार्थी क्रम 3 जमनाशंकर के आराजी ख0नं0 2364/208 रकबा 1.37 है0 व अप्रार्थी महावीर पुत्र धूलीलाल जाति मीणा के आराजी ख0नं0 209 रकबा 0.11 है0 की मध्य मेड से होते हुए अपने ख0नं0 225 पर आ जा सकेगा।

6. अभिभाषक प्रार्थी की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(क) कोई रिकोर्डेड रास्ता न होना–प्रार्थी द्वारा पेश नजरी नक्शा, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2022, सशपथ पूर्ण प्रार्थना पत्र आदि से जाहिर है कि प्रार्थी की कृषि आराजी ख0नं0 225 तक जाने आने व कृषि उपकरण ले जाने के लिऐ मुख्य सडक–डडवाडा से भैंसडा सडक–से कोई Recorded रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अभी तक अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 3 की आराजी ख0नं0 206, 207, 209, 210, 211 व 2364/208 की मेड होकर तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 20.06.2022 में अंकित नजरी नक्शा अनुसार ही आते जाते रहे है।

(ख) Absolute आवश्यकता होनाः– तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2022 के अनुसार प्रार्थी के खेत तक कोई भी रिकार्डेड पहुंच मार्ग नहीं है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी का खेत पडत रहने की संभावना है। यदि प्रार्थी खेत में फसल नहीं बो पायेगा तो परिवार के पालन पोषण के लिऐ मुश्किलें उत्पन्न होने की संभावना है। इस प्रकार पहुंच मार्ग प्रार्थी की Absolute आवश्यकता साबित होती है।

(ग) रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति राशि– सशपथ प्रार्थना पत्र के मद संख्या 5 में प्रार्थी ने तथा बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी ने रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली अप्रार्थीगण की भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में नियमानुसार DLC Rate से दुगुनी राशि जमा कराने के लिऐ सहमत है।

(घ) पहुंच मार्गः– पेश नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी की कृषि आराजी ख0नं0 205 तक पहुंच हेतु लघूतम रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 के ख0नं0 292 व 209 के मध्य से होकर होना चाहिऐ लेकिन ऐसा करने से अप्रार्थी क्रम 1 की कृषि आराजी ख0नं0 212 व 209 के दो

छोटे–छोटे टूकडे हो जायेगें जो न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी वर्षों से ख0नं0 206, 207, 210, 211, 209, व 2364/208 की मेड से होकर गुजरता आ रहा है। इस मेड से दिये जाने वाले रास्ते की लम्बाई भी संभावित लघुत्तम रास्ते से थोडी ही अधिक होगी तथा इससे अप्रार्थीगण के खेतों के छोटे–छोटे टूकडे भी नहीं होगें। अतः अप्रार्थी कम 1 के हित को ध्यान में रखते हुऐ एवं अप्रार्थी कम 2 व 3 के राजीनामें के आधार पर ख0नं0 206, 207, 210, 211, 209 व 2369/208 की मेड से होकर रास्ता दिया जाना न्यायोचित साबित होता है।

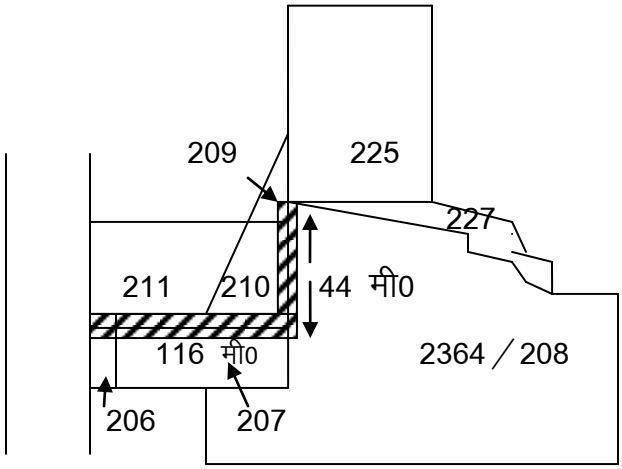

5. उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम आटोन के ख०न० 225 का रकबा 0.32 है० पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु ग्राम आटोन का ख0नं0 206, 207 तथा ख0नं0 211, 210 की मध्य मेड से होते हुए 116 मीटर लम्बा व 4.5 मीटर चौडा तथा ख0नं0 2364/208 एवं ख0नं0 210, 209 की मध्य मेड से 44 मीटर लम्बा व 4.5 मीटर चौडा रास्ता,

अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से की आराजी की DLC Rate की दुगुनी राशि का भुगतान अप्रार्थी क्रम 1 को करने पर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के मध्य हुऐ राजीनामें के अनुसार अप्रार्थी 2 व 3 के हिस्से की आराजी जो रास्ते के रूप में दर्ज की जा रही है, की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रार्थीया द्वारा उतनी कृषि भूमि ख0नं0 225 से की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां